



JALAUN POLICE

“Operation Conviction”

दिनांक 18.07.2026

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं कोतवाली जालौन पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा0 न्यायालय पॉक्सो कोर्ट उई द्वारा 01 अभियुक्त को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास एवं 16,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त राहुल दोहरे पुत्र भोगीराम निवासी ग्राम भदेख थाना कुठौन्द जनपद जालौन के विरुद्ध कोतवाली जालौन पर मु0अ0सं0 250/22 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल व कोतवाली जालौन पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय पॉक्सो कोर्ट उई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त राहुल दोहरे उपरोक्त को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास एवं 16,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



अभियोजन अधिकारी
रणकेन्द्र भदौरिया



ADGC क्रिमिनल
विश्वजीत सिंह



श्री परमहंस तिवारी
प्रभारी मॉनिटरिंग सेल



कोर्ट मुहर्रिर राहुल
सिंह



कोर्ट पैरोकार हे0का0
सतेन्द्र राजपूत

jalaunpolice

